न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2024 दायर तारीख :– 18.03.2024

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी रामजीपुराखुर्द तह. कि.रेनवाल जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. जमना पत्नि रूडाराम
2. भंवरी पुत्री रूडाराम
   जाति जाट निवासी रामजीपुराखुर्द तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज.
3. रमेश चन्द पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी प्रिंस अपार्टमेंट ई–19 कौशल्या मार्ग बनीपार्क जयपुर राजस्थान
4. राजकुमार पुत्र रूडाराम
5. रामनारायण पुत्र रूडाराम
6. संतोष पुत्री रूडाराम
   समस्त जाति जाट निवासी रामजीपुराखुर्द तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज.
7. सोम्या पुत्र अवधबिहारी जाति महाजन निवासी सी–2ए गणेश कुंज झोटवाडा रोड बनीपार्क जयपुर राजस्थान
8. तहसीलदार तहसील कार्यालय कि.रेनवाल।
9. सब रजिस्टार कि.रेनवाल।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रामसिंह , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री लक्ष्मण सिंह विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 3,7

निर्णय

निर्णय दिनांक 31.10.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या 132 पुराना 115 की आराजी नंबर 282/28 रकबा 0.9737 है0.है। जो कि वाकै ग्राम रामजीपुराखुर्द पटवार हल्का रामजीपुरा कंला भू.अभि.नि. क्षैत्र मूण्डियागढ तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज. मे प्रार्थी का हिस्सा 5/462 है शेष हिस्सा राजस्व जमांबदी में दर्ज अनुसार अप्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात के वाद पत्र 1 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने जंमाबदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने दर्ज हिस्से की भूमि का उपयोग उनभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार वादग्रस्त भूमि का मोके कब्जे काश्त अनुसार के सिद्वातं के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण हमेशा टालमटोल करते आ रहे है। जिससे प्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि की सींवमेड कायम करने एंव भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए ऋण इत्यादि लेने में भारी समस्याओं का सामना करना पडता है तथा बाजोत को लेकर हमेशा लडाई झगडा होनें की संभावना बनी रहती है। अप्रार्थीगण की नियत में फितूर आ गया है जिसके कारण अप्रार्थीगण मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके प्रार्थी को उनके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा मनचीाह जगह कब्जा करके भूमि को बेचान करने की फिराक में लगें हुये है। इसी आशय से दिनांक 04/03/2024 वादग्रस्त भूमि पर अप्राथीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

आये और मनचाही जगी से भूमि का बैचान करने का सौदा करने लगे तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को ऐसा करने से मना किया और विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने कि लिए कहा तो अप्रार्थीगण उग्र होते हुये प्रार्थी को धमकी दी की हम वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नही करवायेंगे तथा मनचाही जगह से भूमि का निर्माण/बैचान करके दीगर व्यक्तियो को कब्जा करवा देगे । इसलिए प्रार्थी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी पेश करना आवश्यक हुआ।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की ओर से वकील भंवर सिह लखावत ने अण्डर टेकिग ली दिनांक 25/11/2024 को वकालतनामा पेश नहीं करने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थीसंख्या 8,9 सरकारी पैरोकार है। अप्रार्थी संख्या 3,7 की ओर वकील लक्ष्मण सिंह ने आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार होने पर अप्रार्थीगण की ओर जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 पेश किया गया। तथा अपने जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 में अंकित किया की अप्रार्थी संख्या 3,7 मौके के कब्जे के अनुसार काबिज है अपने काबिज काश्त भूमि पर चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर रखा है तथा पुख्ता कमरे भी बना रखे है। वादी ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिवादी संख्या 03,07 की मौके पर कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया और प्रतिवादी 03,07 को बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी संख्या 03,07 को असहनीय हानि होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी–वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी/प्रार्थी द्वारा जवाब काउन्टर टी0आई0 पेश किया गया जो इस प्रकार है। वादी ने विवादग्रस्त आराजीयात का विभाजन मौके कब्जे अनुसार चाहा है। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके के कब्जे काश्त अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत टी0आई0 पेश की जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित आराजीयात है। जिसके प्रत्येक इंच–इंच पर वादी तथा प्रतिवादी का हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है जिसे वादी मौके के कब्जे के आधार पर विभाजन करवाना चाहते है तथा इस संबंध में प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादग्रस्त पर मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण 3,7 द्वारा काउन्टर टी0आई0 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 3,7 मौके के कब्जे के अनुसार काबिज है अपने काबिज काश्त भूमि पर चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर रखा है तथा पुख्ता कमरे भी बना रखे है। वादी ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिवादी संख्या 03,07 की मौके पर कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया और प्रतिवादी 03,07 को बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी संख्या 03,07 को असहनीय हानि होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी–वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हुआ है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

5. <u>प्रथम दृष्टया मामला:–</u> वकील प्रार्थी द्वारा रिकोर्डेड खातेदार होने के आधार मौके के कब्जे के के आधार पर विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा दौराने वाद राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेंवासा

रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 03,07 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर टी0आई0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3,7 मौके के कब्जे के अनुसार कााबिज है अपने काबिज काश्त भूमि पर चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर रखा है तथा पुख्ता कमरे भी बना रखे है। वादी ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिवादी संख्या 03,07 की मौके पर कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया और प्रतिवादी 03,07 को बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी संख्या 03,07 को असहनीय हानि होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी–वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 3,7 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 का जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण 3,7 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। हस्तगस्त प्रकरण सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अुनसार विभाजन से संबंधित है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। उभय पक्षकारान के द्वारा एक दूसरे को दौराने वाद कब्जे काश्त की भूमि में किसी उपयोग उपभोग में मजाहमत, बाधा उत्पन्न नहीं करने, बिना विधिक विभाजन कराये वादग्रस्त भूमि को रहन–बय–मुंतकिल ,हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। वादग्रस्त आराजी के संबध में उभयपक्षकारान के हक व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्धारित होगा। स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुसार सयुंक्त खाते की भूमि का कोई भी सहखातेदार बिना भूमि का विभाजन कराए हस्तान्तरण नहीं कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है।

6. <u>सुविधा का सतुंलनः–</u> प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के हस्तांतरण होने तथा कब्जे काश्त में व्यवधान होने पर उभय पक्षकारान को <u>असुविधा होना प्रबल संभावित</u> है।

7. <u>अपूरणीय क्षतिः–</u> वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के अनुसार बिना विभाजन कराए कोई सह खातेदारी की भूमि का हस्तातंरण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के दौराने वाद हस्तांतरण होने एंव कब्जे काश्त में व्यवधान होने पर उभयपक्षकारान को <u>अपूरणीय क्षति होना संभावित है।</u>

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द होने से रोका जाना, प्रकरण में आगे वाद बहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताए रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांबद किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित होने पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांबद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल